

10/5/22

पहलली पेश हरी वकील प्राची  
अनुवा। प्राची वकील का आवाज  
दिलायी गयी परन्तु अनुशासित रही  
प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद सं.  
50/2012 को नही चलाने के लक्ष्य  
में दिनांक 4/3/2022 को प्राचीनापत्र  
प्रस्तुत कर प्रमाण बिना किया जा चुका  
है। अतः प्रकरण को खारिज किया  
जाकर मूल वाद के संलग्न किया  
जावे। पहलली दर्ज रखिएर से  
काम की जावे भण्डार प्रविष्ट हो।

रूप खण्ड अधिकारी  
दौसा (राज.)

